<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2015 प्र.सू.रि.स 5 दिनांक 20.1.15

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

(क) घटना का दिन मंगलवार दिनांक से दिनांक 20.1.15

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 20.1.2015 समय 3.15 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 6 समय 3.05 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) पूर्व दक्षिण लगभग 60 कि0मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) सिटी पलवल जिला पलवल।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : राम कुमार (ख) (पिता/पति का नाम) श्री नारायण सिंह

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) मच्छली पालन (पता) राम कुमार सपुत्र श्री नारायण सिंह निवासी गांव मीरपुर जिला पलवल।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. जुगल किशोर जे.ई,
   मच्छली विभाग पलवल।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक देविन्द्र सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो मेवात बदस्त ई.ए.एस.आई वहीद अहमद न0 794/फरीदाबाद बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है, ''सेवा में इन्सपैक्टर विजिलैसं गुडगांव श्रीमान जी, मै राम कुमार सपुत्र नारायण सिंह गांव – मीरपुर कौसली जिला पलवल का रहने वाला हूॅ। मै मच्छली पालन का कार्य करता हूॅ। मैने गांव बेढा पट्टी होडल के तीन तलाब पट्टे पर 8 वर्ष के लिए ले रहे है जिसकी 17,800/–रू मिली है जिसमें से जुगल किशोर जे.ई मच्छली विभाग पलवल मुझे सब सीडी दिलाने के 6000/–रू रिश्वत मांग रहा है।

अगर मैने पैसे नही दिये तो वह अगली सब्सीडी नही मिलने देगा व मेरा तलाब का ठेका रद्द कराने की धमकी दे रहा है। मेरी जुगल किशोर से कोई दुशमनी नही है, ना ही पैसे का लेन–देन है। इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। हस्ताः– हिन्दी रामकुमार सपुत्र नारायण सिंह, गांव मीरपुर कोसली जिला पलवल मौ0 न0 09813276872 दि0 20.01.2015 पुलिस कार्यवाही :– आज दिनांक 20.1.15 को मन निरीक्षक मय स्टाफ के प्राईवेट गाडी एच.आर 29 एन– 0003 के जांच कमांक 1/14 में मिन्नी सचिवालय पलवल आया हूॅ कि रामकुमार उपरोक्त ने मुलाकी होकर एक लिखित दरखास्त मन नि0 को पेश की जो दरखास्त मजबून से सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर दरखास्त बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई.ए.एस.आई वहीद अहमद न0 794/फरीदाबाद के अरसाल थाना एस.वी.बी गुडांव भेजी जा रही है। मन निरीक्षक मय ए.एस.आई यशपाल, ई.एस.आई विजय कुमार मय मुदई मय तफतीशी बैग के बराये कराने नियुक्त डियूटी मजिस्ट्रेट साहब कार्यालय डी.सी पलवल का होता हूॅ बाद करने मुकदमा दर्ज पर्चा नम्बर से सूचित किया जावे। स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रट का भिजवाई जावे। अस्ता : अग्रेंजी देविन्द्र सिंह निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो, मेवात दिनांक 20. 01.2015 एट 11.11 ए.एम अज मिनी सचिवालय पलवल। अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। एफ.आई.आर की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरान बाला व डियूटी मैजिस्ट्रेट साहब पलवल भेजी जायेगी। एक पर्त एफ.आई.आर बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में डयूटी मजिस्ट्रट साहब बदस्त आरिन्दा इ.ए.एस.आई वहीद अहमद न0 794/फरीदाबाद के हाथ भेजी जा रही है। असल मिशल पुलिस मय आमदा असल तहरीर भी मौका पर पहुचाने हेतु इसी ई.ए.एस.आई को दी गई।

हस्ता हिन्दी/– जगदीश चन्द्र
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगदीश चन्द्र
पद : निरीक्षक
सख्यां : 141/एच.ए.पी
दिनांक 20.01.2015 समय 4.30 पी.एम